राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द

76 सन् 2018 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

चतरभुज बनाम भूरालाल वगैरह

आदेशिका
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। तहसीलदार कुम्भलगढ़ से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा.मि. हो। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम ओडा की आराजी नम्बर 1703 रकबा 0-10-00 भूमि प्रार्थी चतरभुज पिता मोड़ा ब्राह्मण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं मौके की स्थिति के अनुसार उक्त आराजी नम्बर 1703 पर चतरभुज पिता मोडा ब्राह्मण ही काबिज है एवं श्री चतरभुज पिता मोडा ब्राह्मण ने उक्त आराजी में मकान 30x20 में निर्माण की शुरुआत जमीन स्तर पर 15 लोहे के सरिये खड़े कर रखे है। उपस्थित मौतबिरान के अनुसार भी उक्त आराजी पर चतरभुज पिता मोडा ब्राह्मण ही काबिज होना बताया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24-8-18 में सभी पक्षकारान के विरुद्ध आगामी पेशी दिनांक 12-9-18 तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई है कि मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं भूमी पर निर्माण नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख तक बढ़ाई गई है व दिनांक 05.7-19 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक (पेशियों) बढ़ाई जाती है कि उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखे। भूमी पर निर्माण नही करे। जो आगामी तारीख पेशी पर भी बढ़ाई गई है। चूंकी प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार है अत: प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में दखलदांजी करते है या निर्माण इत्यादि करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी अर्थ में पूरा नहीं किया जा सकता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अब सभी पक्षो के विरुद्ध से व उभय पक्षकारान के विरुद्ध से हटा कर विपक्षी संख्या (1) व (2) के विरुद्ध मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की जारी की जाती है कि